

न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर

गुणं०-112/2022

(जीसीएमएस नं० 2022/28)

उपवान —सरकार बनाम मनोज कुमार पुत्र श्री मिठठन लाल, उम्र 51 वर्ष, जाति वैश्य, विक्रेता
मैसर्स : मनोज मिष्ठान भन्डार, करौली बस स्टेन्ड सरमथुरा जिला धौलपुर ।

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 28 की उप धारा 2(ii)/51एफ0एस0एस0
एक्ट 2006 नियम 2011

निर्णय

दिनांक -21.02.2024

उक्त प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रस्तुत न्यायनिर्णयन आवेदन श्री पदम सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर ने अभियुक्त श्री मनोज कुमार पुत्र श्री मिठठन लाल, उम्र 51 वर्ष, जाति वैश्य, विक्रेता मैसर्स : मनोज मिष्ठान भन्डार, करौली बस स्टेन्ड सरमथुरा जिला धौलपुर के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 28 की उप धारा धारा 2(ii)/51एफ0एस0एस0एक्ट 2006 रूल्स 2011 के तहत पेश किया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 04.12.2022 को अभियुक्त/अप्रार्थी की दुकान का निरीक्षण के दौरान डेयरी में रखे कटोरो में लगभग 10 किलोग्राम मिल्क केक (दूध व चीनी से निर्मित) आम जनता के विक्रय करने हेतु रखा था। उक्त मिल्क केक (दूध व चीनी से निर्मित) में भिलावट का शक होने पर उक्त मावा में से 2 किलोग्राम मिल्क केक (दूध व चीनी से निर्मित)वास्ते नमूना जॉच अभियुक्त से खरीदा गया। उक्त मावा नमूना डी-2611 वास्ते जांच हेतु खाद्य विश्लेषक राजस्थान भरतपुर को भेजा गया। खाद्य विश्लेषक राजस्थान भरतपुर की जॉच रिपोर्ट एलएस/1062/एसीटी/2022/1063 दिनांक 31.10.2022 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया मावा अनसेफ प्रकृति का होना पाया गया पुनः द्वितीय नमूना जॉच रेफरल प्रयोगशाला मैसूर भेजा गया। जहाँ से प्राप्त सर्टिफिकेट संख्या 1090एफ/एफएसएसए/2021 दिनांक 5.11.2022 के अनुसार नमूना सबस्टैंडर्ड प्रकृति का होना पाया गया। न्यायनिर्णयन आवेदन दर्ज रजिस्टर कर अभियुक्त/अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलव किया गया। अप्रार्थी स्वयं उपस्थित हुआ। अप्रार्थी को आरोप नोटिस पढकर सुनाया गया। अप्रार्थी ने अपना जुर्म एवं जुर्माना स्वीकार किया तथा भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं करने एवं कम से कम जुर्माना कर प्रकरण का निस्तारण करने की प्रार्थना की।

हमने पैरोकार सरकार व अप्रार्थी को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया। अप्रार्थी द्वारा अपना जुर्म एवं जुर्माना स्वीकार करने से प्रमाणित होता है कि अप्रार्थी ने उक्त सबस्टैंडर्ड मिल्क केक (दूध व चीनी से निर्मित) का विक्रय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा (ii) का उल्लंघन किया है। इस प्रकार अप्रार्थी सबस्टैंडर्ड मिल्क केक (दूध व चीनी से निर्मित) बेचने का दोषी है जो धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है।

अतः अप्रार्थी मनोज कुमार पुत्र श्री मिठठन लाल, उम्र 51 वर्ष, जाति वैश्य, विक्रेता मैसर्स : मनोज मिष्ठान भन्डार, करौली बस स्टेन्ड सरमथुरा जिला धौलपुर पर प्रकरण के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए खाद्य संरक्षा के मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के तहत 21000/-रुपये (इक्कीस हजार रुपये) का जुर्माना लगाया जाता है। जुर्माने की राशि कैशियर कलेक्ट्रेट, धौलपुर के तहत जमा करावें। बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(ब्रह्मलाल जाट)

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,